क्र. सं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
	09/02/24	पत्रावली पेश हुई। पीठासीन साहब अन्य राज्य कार्य में व्यस्त है। अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 28/2/24 को पेश हो।
	28/2/24	पत्रावली पेश हुई। पीठासीन साहब अन्य राज्य कार्य में व्यस्त है। अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 3/4/24 को पेश हो।
	3/4/24	पत्रावली पेश हुई। पीठासीन साहब अन्य राज्य कार्य में व्यस्त है। अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 26/4/24 को पेश हो।
	26/4/24	पत्रावली पेश हुई। पीठासीन साहब अन्य राज्य कार्य में व्यस्त है। अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 28/6/24 को पेश हो।
	28/6/24	पत्रावली पेश हुई। वादिया गण अधिवक्ता उपस्थित। प्रतिवादीगण के अधिवक्ता वादीगण ने वाद पत्र को विड्रा किये जाने का प्रार्थना पत्र पेश किया। प्रार्थना पत्र वादिया की सुना गया। वादीगण की ओर से पेश प्रार्थना स्वीकार किया जाकर वाद पत्र विड्रा किये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है। पत्रावली/वाद को इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। पत्रावली फोलियो शुमार नेगेटिव इन नं. से कम को वाद समाप्त। उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

आयुज शर्मा 9/2/24

श्रीमान जी प्रकरण विड्रा करवाया जावे।

सोनी देवी

Advocate

Adv. Narayan

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सांगानेर, जयपुर

वाद संख्या /2023

सोनी देवी पत्नी प्रहलाद, पुत्री लादू, जाति बैरवा, निवासी ग्राम रामचन्द्रपुरा, तहसील माधोराजपुरा, जिला जयपुर ग्रामीण।

वादी

बनाम

1. लादू पुत्र झूंथा, जाति बैरवा, निवासी 153, तरूछाया नगर, तालकटोरा कूंट, टोंक रोड़, सांगानेर, जयपुर।
2. दिनेश पुत्र लादू, जाति बैरवा, निवासी 153, तरूछाया नगर, तालकटोरा कूंट, टोंक रोड़, सांगानेर, जयपुर।
3. मनफूली देवी पत्नी रामू, जाति बैरवा, निवासी ग्राम जयसिंहपुरा, तहसील वाया–अजयराजपुरा, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।
4. पिंकी देवी पत्नी प्रभु, जाति बैरवा, निवासी ग्राम जयसिंहपुरा, तहसील निवाई, जिला टोंक, राजस्थान।
5. राजू देवी पत्नी रमेश, जाति बैरवा, निवासी 18, एस एम पी कॉलोनी, मुहाना, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।
8. नौरती देवी पत्नी रमेश, जाति बैरवा, निवासी ग्राम मुहाना, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।
7. रेखा देवी पत्नी बनवारी, जाति बैरवा, निवासी ग्राम खिजूरिया, तहसील माधोराजपुरा, जिला जयपुर ग्रामीण।
8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील कार्यालय सांगानेर।
9. उप–पंजीयक सांगानेर द्वितीय, सांगानेर।

प्रतिवादीगण

वाद बाबत घोषणा व स्थाई व्यादेश अन्तर्गत धारा 88 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

महोदय,

वादी द्वारा वाद निम्न प्रकार से प्रस्तुत है :–

1. यह कि वादी व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 7 एक ही परिवार के सदस्य

सोनी देवी

Signature Not Verified
Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2024.09.06 15:30:21 IST
Reason: SelfAttested